

राजस्व उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर गुडामालानी-बाड़मेर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भगाराम पुत्र पुनमाराम जाति कलबी निवासी श्रीराम नगर गुडामालानी तहसील गुडामालानी।		1. अजाराम पुत्र होथीराम वगैरा ( 19/23 ) 20. शाखा प्रबन्धक एस बी आई गुडामालानी 21. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक बालोतरा। 22. शाखा प्रबन्धक बी सी सी बी गुडामालानी। 23. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार नौखडा

16/5


मु0नं0...6.../2024

किस्म मुकदमा.....धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:-प्रार्थना-पत्र चैकलिस्ट:-

आज दिनांक 12.04.2024 को प्रार्थीगण भगाराम पुत्र पुनमाराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री राजीव सारण द्वारा विप्रार्थीगण अजाराम पुत्र होथीराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित 2010 का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट निम्न प्रकार है -

क्र.स.	विवरण	हां/नहीं	विशेष विवरण
1.	क्या प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है ?	हां	
2.	क्या प्रार्थना पत्र पर्याप्त मुद्रांक पर है ?	हां	
3.	क्या उचित संख्या में तलवाना नोटिस मय प्रार्थना पत्र प्रति मय कोर्ट फीस के पेश किये हैं ?	हां	डाक से
4.	क्या प्रार्थना पत्र के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है ?	हां	
5.	क्या प्रार्थना पत्र से संबंधित सभी हित धारक को पक्षकार बनाया गया है?	हां	
6.	क्या प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का सम्पूर्ण नाम, वल्लिदयत, पूर्ण पता पिनकोड सही रूप में अंकित किया गया है ?	-	पिन कोड अंकित नहीं
7.	क्या प्रार्थना पत्र में निरर्थक बातें लिखी हैं या अन्यथा प्रपची है ?	नहीं	
8.	क्या सी.पी.सी.-1908 के आदेश 7 का पालन किया गया है ?	हां	
9.	क्या प्रार्थना पत्र के साथ हाल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है ?	हां	
10.	क्या इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न है कि प्रार्थी जिस जमाबन्दी के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है बाद में भूमि अथवा इसके भाग का बेचान अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया है?	नहीं	
11.	क्या प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा संख्या से संबंधित कैवियट प्रार्थना पत्र न्यायालय में दर्ज है ?	नहीं	
12.	क्या प्रकरण राजस्व न्यायालय में दर्ज किया जाना उचित है ?	हां	

  
(सोहनलाल)

राजस्व अहलमद  
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

प्रकरण दर्ज होकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस  
तलब हो।

7/6/24



06/05/2024.

सेवा में,

शाही के उपस्थित होकर शाहीनाम  
 का सुनवाई के लिये का पेशा किया,  
 जिन पर प्रतापनी का सुनवाई  
 के लिये शाही के उपस्थित पर  
 जसिने राजीनामा प्रकरण विद्युत् कर  
 का पेशा कर विवेक कि कि गाँव  
 के मजदूर कामिने द्वारा एक प्रकरण  
 के मध्य गाँव राजीनामा के रास्ते  
 का विवाद सुलझा दिया है। जो रास्ते  
 लाया। कोई विवाद हल नगला नई  
 है जिनके एक उच्च प्रकरण का कोई  
 मकसद ही नहीं था है जिसे एक  
 उच्च प्रकरण को चलाया नई  
 चारों ही नया उच्च उच्च  
 प्रकरण जसिने राजीनामा विद्युत्  
 कारिक प्रकरण जसिने शाही  
 के हल हल शाही के उपस्थित  
 के परिप्रेक्ष्य के प्रतापनी का हलके  
 नदमकर विद्युत् चला प्रकरण वतमान  
 के प्राथमिक स्तर पर ही है प्रकरण  
 के मध्य गाँव राजीनामा के लिये  
 शाही के विवेक पर उच्च उच्च  
 प्रकरण जसिने राजीनामा विद्युत् कारिक  
 किया जाता है प्रतापनी विवेक सुल  
 होकर कारिक चला है

मज॥ राम